भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1585
दिनांक 29 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

बिहार में दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र

†**1585. श्री राजेश रंजनः**
श्री दिनेश चंद्र यादवः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का बिहार के कोसी-सीमांचल क्षेत्र, विशेषकर खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया में दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने का विचार है क्योंकि इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन होता है;

(ख) बिहार में दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र कहाँ-कहाँ स्थापित हैं और उनकी प्रसंस्करण क्षमता कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) उक्त योजनाओं की विशेषताएँ क्या हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो.एस.पी. सिंह बघेल)

(क) भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) दूध प्रसंस्करण अवसंरचना संबंधी राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए देश भर में **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) योजना** का कार्यान्वयन कर रहा है **।** एनपीडीडी योजना निम्नलिखित दो घटकों के साथ कार्यान्वित की जा रही है:

(i) **घटक 'क'** राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/स्वयं सहायता समूहों (SHGs)/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के सृजन /सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।

(ii) एनपीडीडी योजना के **घटक 'ख'** "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके तथा उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना है।

बिहार राज्य सरकार ने एनपीडीडी योजना के अंतर्गत कोशी- सीमांचल में दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु कोई परियोजना प्रस्तुत नहीं की है । हालाँकि, कोसी-सीमांचल क्षेत्र में डेयरी की संभावनाओं को देखते हुए, बिहार राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण/संगठित डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु संबंधी निम्नानुसार स्थिति/उठाए गए कदमों की जानकारी दी है: -

i. बिहार के माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा, 2025 के दौरान मधेपुरा जिले के लिए 0.50 लाख लीटर/दिन (LLPD) क्षमता का एक दूध शीतलन संयंत्र स्वीकृत किया गया है।

ii. देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ (DRMU), बरौनी के अंतर्गत आने वाले खगड़िया जिले के लिए आकांक्षी जिला योजना के तहत प्रसंस्करण क्षमता के 1 एलएलपीडी से 2 एलएलपीडी तक विस्तार को संस्वीकृत किया गया है ।

iii. पूर्णिया जिला कॉम्फेड (COMFED), पटना की कोसी डेयरी परियोजना (KDP) के अंतर्गत आता है, जिसकी खरीद क्षमता 0.74 एलएलपीडी है और स्थापित प्रसंस्करण क्षमता 2.00 एलएलपीडी है।

iv. सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों को कोसी दुग्ध संघ (KMU), सुपौल द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, जिसके पास 2.00 एलएलपीडी की क्षमता वाला एक प्रसंस्करण संयंत्र है, जिसमें वर्ष 2024-25 में लगभग 1.00 एलएलपीडी दूध खरीद क्षमता है।

(ख) बिहार में दूध प्रसंस्करण केंद्रों के स्थान और क्षमता का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ग) और (घ) बिहार में दूध उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) तथा राज्य सरकार की योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

I. पशुपालन और डेयरी विभाग दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण अवसंरचना के संबंध में राज्य सरकार के प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के रूप में देश भर में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

1. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM):** आरजीएम का कार्यान्वयन देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन तथा बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए किया गया है।

2. **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD):** एनपीडीडी को निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वित किया जाता है:

   (i) **घटक 'क'** राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/स्वयं सहायता समूहों (SHGs)/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के सृजन /सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।

   (ii) एनपीडीडी योजना के **घटक 'ख'** "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके तथा उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना है।

3. **डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO):** राज्य डेयरी सहकारी संघों को गंभीर रूप से प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण के संबंध में ब्याज सबवेंशन (नियमित 2% और भुगतान पर अतिरिक्त 2%) प्रदान करके सहायता प्रदान करना।

4. **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)** : एएचआईडीएफ पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण और विविधीकरण अवसंरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है, जिससे असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान होती है।

5. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM):** उद्यमिता विकास के लिए व्यक्ति, एफपीओ (FPOs), एसएचजी(SHGs), धारा 8 कंपनियों और नस्ल सुधार अवसंरचना के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करके पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर पालन और चारा में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर गहन ध्यान केंद्रित करना।

6. **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP):** इसका उद्देश्य पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता का निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से देश भर में सस्ती जेनेरिक पशुचिकित्सा

औषधियां उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के अंतर्गत पशु औषधि का एक नया घटक जोड़ा गया है। इससे सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा।

ये योजनाएं बोवाइन पशुओं की दूध उत्पादकता में सुधार करने, डेयरी सहकारी समितियों के नेटवर्क का विस्तार करने, डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाने तथा पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायता कर रही हैं। ये पहलें दूध उत्पादन की लागत को कम करने और डेयरी फार्मिंग से दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने में भी सहायक हैं।

II. **बिहार सरकार की योजनाएं:**

1. **सात निश्चय-2 योजना:** ग्रामीण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए डेयरी अवसंरचना का विस्तार। इस पहल के तहत राज्य का लक्ष्य वर्ष 2021 से वर्ष 2025 के बीच 7,000 नई डेयरी सहकारी समितियों का गठन करना है।
2. **देसी गोपालन प्रोत्साहन** योजना - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईबीसी लाभार्थियों के लिए 75% तक की सब्सिडी के साथ गाय की देशी नस्लों को बढ़ावा देना।
3. **समग्र भैंस पालन योजना -** मुर्राह और भदावरी जैसी उच्च दूध उत्पादन वाली भैंसों की खरीद के लिए 1.21-1.81 लाख रुपये की सहायता दी जाती है।
4. **समग्र गव्य विकास योजना** – 2 से 20 पशुओं वाली डेयरी इकाइयों को सहायता प्रदान करती है; इकाई के आकार और श्रेणी के आधार पर सब्सिडी 40% से 75% तक होती है।

*****

अनुबंध- I

बिहार में दूध प्रसंस्करण केंद्रों के स्थान और क्षमता का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**स्थान**	**कुल प्रसंस्करण क्षमता (हजार लीटर प्रति दिन)**
1	पटना	275
2	मुजफ्फरपुर	290
3	बरौनी	500
4	गया	100
5	आरा	300
6	समस्तीपुर	835
7	भागलपुर	200
8	पूर्णिया	200
9	कैमूर	50
10	गोपालगंज	10
11	दरभंगा	70
12	बिहारशरीफ	400
13	हाजीपुर	10
14	जमुई	10
15	डेहरी -ऑन-सोन	500
16	खगड़िया	100
17	मोतिहारी	10
18	किशनगंज	5
19	सुपौल	200
20	सीतामढ़ी	400
	कुल	**4855**